(निग) 2844/II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा (म0प्र0)

276
27.7.15

श्री अशोक त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 27-07-15 प्रस्तुत किया गया।
सर्किट कोर्ट रीवा

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

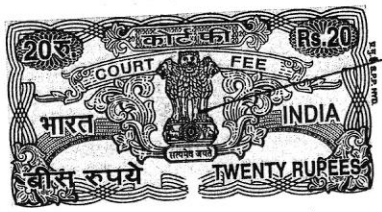

Rs. 201/-

भूपेन्द्र कुमार शुक्ला तनय स्व0 श्री गिरजा शंकर शुक्ला, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम बिधुई खुर्द, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0) ————निगरानीकर्ता

बनाम

1— रावेन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय स्व0 श्री गिरजा शंकर शुक्ला, उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम बिधुई खुर्द, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

2— बद्री प्रसाद पिता ओकार प्रसाद, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम बिधुई खुर्द, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

————**गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी आदेश विरूद्ध नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व प्रकरण क0–73ए–27/14–15 भूपेन्द्र प्रसाद बनाम रावेन्द्र प्रसाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08/07/2015 के विरूद्ध

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राज़स्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त तथ्य :—

यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक व गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य है । उपरोक्त प्रकरणं के पूर्व धारा 178 के अंतर्गत बटवारे हेतु निगरानीकर्ता ने अपने पिता के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R: 2845/II/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	सुरेन्द्र कुमार कार्यवाही तथा आदेश शैलेन्द्र कुमार	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
10-2-16	यह प्रकरण नायब तहसीलदार के प्र०क्र० 73/अ-27/14-15 में पारित आदेश दिनांक 8-7-15 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 20-1-16 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने का निवेदन किया। आवे० अधि० को शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर सुना गया उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हे यहां पुनरांकित न किया जाकर विचार में लिया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचारोपरांत अधीनस्थ न्याया० के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 8-7-15 का अवलोकन किया गया जिसके द्वारा तह० न्याया० के प्र०क्र० 73/अ-27/14-15 में प्रचलित बटनवारे की कार्यवाही को अनावेदक की ओर से स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने के कारण सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के उद्देश्य से आदेश दिनांक 8-7-15 से प्रकरण को तीन माह के लिये विधिक प्रक्रियाओं के अनुसरण में स्थगित किया गया था। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 8-7-15 से निर्धारित तीन माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है ऐसी दशा में प्रश्नाधीन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो गया है। अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 8-7-15 से तीन माह की समयावधि व्यतीत हो जाने के कारण नायब तह० को आदेशित किया जाता	

[कृ. प. उ.

R. 2845/11/15 (नकल)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-5	(10-5) है कि प्रकरण में यदि सिविल-न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त हुए हो उसके क्रम में और सिविल-न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त न हुए हो तो उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधिवत संहिता में निहित प्रावधानों के अनुरूप बटवारा की कार्यवाही संपादित करें। उपरोक्तानुसार यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०रि० हो। 10.2.16 सदस्य	

क्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.